

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 379] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 13, 1982/अग्रहायण 22, 1904
No. 379] NEW DELHI, MONDAY, DEC. 13, 1982/AGRAHAYANA 22, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 274/82-सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 1982

सा. का. नि. 755(ब) —केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा पदस्त शक्तियों का प्रयोग करने द्वारा, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 195, सीमा-

शुल्क, तारीख 3 अक्टूबर, 1978 का निम्नलिखित संशोधन करनी है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, शर्त (2) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतर्भावित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु पुनः निर्यात की शर्त ऐसे पर्यटारोहण उपकरणों को लागू नहीं होगी, जिनका क्रय भारतीय पर्यटारोहण प्रमिष्ठान, लर्ड दिल्ली द्वारा वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के पद अन्मोदन से, किया गया है।”

[फा. सं. 465/1/81-कृष्ण-शुल्क-5]

ए. सी. बक, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

No. 274/82-CUSTOMS

New Delhi, the 13th December, 1982

G.S.R. 755(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 195-Customs, dated the 3rd October, 1978, namely :—

In the said notification, after condition (ii), the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided that the condition of re-export shall not apply to such mountaineering equipments as are purchased by the Indian Mountaineering Foundation, New Delhi, with the prior approval of the Ministry of Finance (Department of Revenue).”

[F. No 465/1/81-CUS. VI]

A. C. BUCK, Under Secy.